File No.CEA-PL-14-38/3/2022-PDM Division





भारत सरकार

Government of India विद्युत मंत्रालय Ministry of Power केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण Central Electricity Authority

सचिव का कार्यालय, के.वि.प्रा. Office of Secretary, CEA

To.

Director (O&M), West Bengal Power Development Corporation Limited, Bidyut Unnayan Bhaban 3/C, LA Block, Sector – III, Bidhannagar, Salt Lake City Kolkata - 700106 West Bengal

Subject: Retirement of Bandel Thermal Power Station Unit No. 1 (60 MW) and Kolaghat Thermal Power Station Unit No. 1 & 2 (2x210 MW), West Bengal Power Development Corporation Limited- reg.

Ref: Letter no. WBPDCL/Dir(O&M)/157 dated 02.03.2022 from Director (O&M), West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL)

Sir.

Reference is invited to letter received Director (O&M), West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) regarding retirement of Bandel Thermal Power Station Unit No. 1 (60 MW) and Kolaghat Thermal Power Station Unit No. 1 & 2 (2x210 MW). The details furnished by WBPDCL have been seen by the Central Electricity Authority.

It is seen that WBPDCL has decided to retire these unit considering different operational parameters like PLF, Forced Outage, Oil Consumption, Obsolete technology, Emission of SOx etc. and its impact on environment as well as ageing and unviable financial performance. The proposal for closure/decommissioning of these 3 (three) units with due recommendation of the Board of Directors, WBPDCL was accorded approval by the State Cabinet in its 17th meeting held on 21st Feb, 2022 vide U/O. No.CAB(D)-193 dt.23/02/2022 with immediate effect.

The decision to retire Bandel TPS Unit No. 1 (60 MW) and Kolaghat TPS Unit No. 1 & 2 (2x210 MW) has been taken by WBPDCL based on techno-economic and environmental reasons. Based on their decision, the capacity of these units are being deleted from the database of All India Installed Capacity of CEA.

Yours faithfully

(V. K. Mishra)

Secretary, CEA

विजय कुमार मिश्र VIJAY KUMAR MISHRA

सचिव/Secretary

Copy for information to:

1. PPS, Secretary, MoP

3. All Chief Engineers of CEA

5. SA to Member (Planning/Hydro/ Thermal/ E&C/ GO&D/PS), CEA 2. SA to Chairperson, CEA

All Heads of Subordinate offices, CEA केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/C.E.A 4. 6.

IT Division, CEA for uploading on CEAगुत मंत्रालय/Ministry of Powership website

File No.CEA-PL-14-38/3/2022-PDM Division





Government of India

विद्युत मंत्रालय Ministry of Power केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

Central Electricity Authority सचिव का कार्यालय, के.वि.प्रा.

Office of Secretary, CEA

सेवा में.

Director (O&M), West Bengal Power Development Corporation Limited, Bidyut Unnayan Bhaban 3/C, LA Block, Sector - III, Bidhannagar, Salt Lake City Kolkata - 700106 West Bengal

विषय: पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बंडेल थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 1 (60 मेगावाट) एवं कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 1 व 2 (2x210 मेगावाट) के रिटायरमेंट के सम्बन्ध में|

संदर्भ: Letter no. WBPDCL/Dir(O&M)/157 dated 02.03.2022 from Director (O&M), West Bengal Power Development Corporation Limited (WBPDCL) महोदय,

निदेशक (ओ एंड एम), पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) के बंडेल थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 1 (60 मेगावाट) और कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 1 और 2 (2x210 मेगावाट) के रिटायरमेंट के संबंध में प्राप्त पत्र की ओर संदर्भ आमंत्रित किया गया है। WBPDCL द्वारा प्रस्तुत विवरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देख लिए गए हैं।

यह देखा गया है कि WBPDCL ने PLF, Forced Outage, तेल की खपत, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, Emission of SOx आदि जैसे विभिन्न परिचालन मापदंडों और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के साथ-साथ उम्र बढ़ने और अव्यवहार्य वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए इन इकाइयों को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है। निदेशक मंडल, WBPDCL की उचित सिफारिश के साथ इन 3 (तीन) इकाइयों को बंद करने करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 21 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी 17 वीं बैठक में U/O. No.CAB(D)-193 दिनांक 23/02/2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है।

बंडेल थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 1 (60 मेगावाट) और कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन की इकाई सं. 1 और 2 (2x210 मेगावाट) को सेवानिवृत्त करने का निर्णय WBPDCL द्वारा तकनीकी-आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया गया है। उनके निर्णय के आधार पर इन इकाइयों की क्षमता को सीईए की अखिल भारतीय संस्थापित क्षमता के डेटाबेस से हटाया जा रहा है।

2.

भवदीय. Sd/-(वी. के. मिश्रा) सचिव, के.वि.प्रा.

प्रति निम्लिखित को सूचनार्थ :-

पी.पी.एस., सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय 1. 3.

के.वि.प्रा. के सभी अधिनस्थ कार्यालयों के प्रधान 4. 5.

सदस्य (योजना/ जल विद्यत/ तापीय/ आ,एवं वा. / 6.1 जी.ओ.एंड डी./ पी.एस.), के.वि.प्रा.

अध्यक्ष, के.बि.प्रा, के वरिष्ट सहायक

के.वि.प्रा. के सभी मुख्य अभियंता

पर अपलोड करने के लिए

विजयं कुमार मिश्र VIJAY KUMAR MISHRA सचिव/Secretary केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/C.E.A

आई.टी.प्रभाग, के.वि.प्रा. को के.वि.प्रा की वेबसाइंग्रेट्स सरकार/Govt. of India पर अपलोड करने के लिए